RNI NO. RAJHIN/2005/16139

POSTAL REG. NO. Sri Ganganagar/143/2021-23

सरल टैक्स

इन्कम टैक्स व जी.एस.टी. की मासिक समाचार पत्रिका

बजट–2021

- ☆ इन्कम टैक्स सर्वे, सर्च, सीजर की कार्यवाही में असैसमेंट की नई प्रक्रिया की पूरी जानकारी
- ☆ स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसायटी के सम्बन्ध में इन्कम टैक्स कानून में भारी फेरबदल
- ☆ रिटर्न फाईल करने, रिवाईज करने, स्क्रुटनी का फैसला करने, स्क्रुटनी का नोटिस जारी करने की समय सीमा में बदलाव।
- ☆ GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST ऑडिट, GST रिटर्न, GST अपील, GST रिकवरी सम्बन्धी नए नियम

वर्ष : 16 **अंक : 2** **फरवरी 2021** **पेज–24**

स्व. श्री नन्दलाल जी चावला एडवोकेट व स्व. श्रीमती स्वर्ण चावला के आशीर्वाद से

सरल टैक्स

इन्कम टैक्स व जी.एस.टी. का मासिक समाचार पत्र

प्रकाशक व मुद्रक : जगदीश चावला, मानद सम्पादक : नीरज चावला (एलएलबी, सीए)

पता : 75 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर (राज.) –335001, फोन : 0154–2940250, 2485250

email : saraltax@gmail.com www.saraltax.org

वर्ष : 16 अंक : 2 फरवरी 2021

इंडैक्स – बजट 2021

75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को काफी शर्तों के साथ रिटर्न में छूट 5

इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करने, रिवाईज करने की समय सीमा में कमी 5

PF में कर्मचारी द्वारा अधिक रकम जमा करवाने पर ब्याज की छूट नहीं मिलेगी 5

ULIP की मैच्योरिटी पर इन्कम टैक्स लगाने का प्रयास [धारा 10(10डी)] 6

इन्कम टैक्स स्क्रुटनी का नोटिस जारी करने व फैसला करने सम्बन्धी समय सीमा 7

रिअल एस्टेट के व्यापार में सेल कन्सीड्रेशन व सर्किल रेट में अन्तर होने पर 9

कर्मचारी का PF समय पर न जमा करवाने पर इन्कम टैक्स में काफी नुकसान 9

स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसायटी आदि के लिए इन्कम टैक्स में किये गये परिवर्तन 11

रिटर्न फाईल करने के लिए ऑनलाईन नोटिस जारी किया जा सकेगा 12

रिअसैसमेंट, सर्वे, सर्च सम्बन्धी नियमों में काफी परिवर्तन (धारा 148, 153A, 153C) 13

50 लाख रु. से ज्यादा की खरीद पर 0.1% की रेट से TDS काटना होगा 18

टैक्स ऑडिट की लिमिट सम्बन्धी (धारा 44AB) 19

इन्कम टैक्स सम्बन्धी विविध परिवर्तन – LTC, Affordable Housing Project, Startup, Settlement Commission, Dispute Resolution Committee, LLP, ITAT में फेसलेस हियरिंग की प्रक्रिया 19

GST सम्बन्धी परिवर्तन – इनपुट टैक्स क्रेडिट, GST ऑडिट, GST में ब्याज की कैल्कुलेशन, केवल GSTR-1 फाईल करने तथा GSTR-3B फाईल न करने पर 21

अच्छे विचार – व्यापार, कारोबार करते हुए भक्ति कैसे करें 23

बजट 2021 – इन्कम टैक्स

जानिए Finance Bill-2021 के द्वारा के इन्कम टैक्स व GST में क्या–क्या नए नियम लाए गये हैं।

दिनांक 1 फरवरी 2021 को माननीया वित्तमंत्री द्वारा बजट 2021 प्रस्तुत किया गया। इस बजट को प्रस्तुत करने के उपरांत उनके द्वारा Finance Bill-2021 लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फाईनेंस बिल केन्द्र सरकार का वह डॉक्युमेंट होता है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा विभिन्न टैक्स सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन/संशोधन (Amendments) प्रस्तावित किये जाते हैं। इस वर्ष बजट भाषण में माननीय वित्तमंत्री द्वारा इन्कम टैक्स से सम्बन्धित बहुत थोड़े से प्वॉइंट बताये गये। बजट भाषण को सुनकर एक बार ऐसा लगा कि इस बार इन्कम टैक्स एक्ट में ज्यादा परिवर्तन नहीं किये गये, लेकिन बजट पेश करने के उपरांत जो फाईनेंस बिल सरकार की वैबसाईट पर उपलब्ध करवाया गया तो पता चला कि सरकार द्वारा इन्कम टैक्स कानून में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिये गये हैं। फाईनेंस बिल के साथ जो मेमोरेंडम प्रस्तुत किया गया उसमें पेज नम्बर 1 से 79 तक केवल इन्कम टैक्स एक्ट में जो परिवर्तन इस बजट के माध्यम से आने वाले वर्ष के लिए किये गये हैं उनका उल्लेख सरकार द्वारा किया गया। इस बार जो परिवर्तन टैक्स कानून में किये गये हैं, उसमें से कुछ बहुत ज्यादा तकनीकी व जटिल प्रकृति के हैं।

जनता इस बार सरकार से यह आस लगाए बैठी थी कि सरकार टैक्स स्लैब में कुछ रियायत देगी अथवा छोटे एवं मध्यम करदाताओं को इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली डिड्क्शन्स में कुछ वृद्धि की जाएगी ताकि टैक्स में कुछ बचत हो सके, लेकिन आमजन को इस बाबत निराशा हाथ लगी, ***बजट 2021 में टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं दी गई, न ही डिड्क्शन्स की सीमा में कोई वृद्धि की गई, दूसरी तरफ पैट्रोल, डीजल व कुछ आईटम्स पर कृषि सैस लगा दिया गया।*** पैट्रोल व डीजल एक ऐसी वस्तु है जिसे प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है। इस नए सैस से आम जन की जेब पर थोड़ा–थोड़ा करके कुल मिलाकर काफी प्रभाव पड़ जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा पैट्रोल व डीजल को बहुत बड़ा कमाई का साधन बना लिया गया है।

सरल टैक्स के इस अंक में यह प्रयास किया गया है कि बजट 2021 के द्वारा इन्कम टैक्स व जीएसटी कानून में जो Amendments प्रस्तावित (Propose) किये गये हैं उनमें से व्यवहार में काम आने वाले परिवर्तनों की जानकारी आसान व व्यावहारिक भाषा में पाठकों को उपलब्ध करवाई जाए। जब बजट पास हो जाएगा तो उसके उपरांत भी सरल टैक्स के आगामी अंक में फाईनल कानून की जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। इसी अनुक्रम में इन्कम टैक्स व जीएसटी सम्बन्धी मुख्य Amendments की जानकारी इस अंक में दी जा रही है। बजट के सम्बन्ध में आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें प्रेषित कर सकते हैं।

75 वर्ष या अधिक आयु के पेंशनर्स को काफी शर्तों के पूरा होने पर इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करने में छूट दी गई (धारा 139)

ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का मुख्य साधन पेंशन इन्कम है तथा उनकी आयु 75 वर्ष या अधिक है उन्हें अगले वर्ष से इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करने से मुक्ति प्रदान की गई है। यह मुक्ति सीधे–सीधे नहीं दी गई है बल्कि इसके लिए धारा 139 में कुछ शर्तें रखी गई हैं। इस छूट सम्बन्धी मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :–

(ए) यह छूट कर निर्धारण वर्ष 2021–22 से लागू होगी।

(बी) करदाता की आयु 31 मार्च 2021 को 75 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।

(सी) यह छूट धारा 139 के तहत केवल रिटर्न फाईलिंग के सम्बन्ध में दी गई है, ध्यान रहे यदि इस प्रकार के बुजुर्ग करदाता का कोई इन्कम टैक्स बनता है तो वह उसे अदा करना होगा, यानि इन्कम टैक्स पेमेंट में कोई छूट नहीं दी गई है केवल रिटर्न फाईलिंग में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है।

(डी) करदाता की इन्कम का साधन केवल पेंशन इन्कम होना चाहिए, यदि करदाता को पेंशन के अलावा अन्य कोई इन्कम जैसे व्यापार से इन्कम, प्रोपर्टी के किराये से आय, केपीटल गेन, प्राईवेट ब्याज से इन्कम, पोस्ट ऑफिस से ब्याज की इन्कम या अन्य सेलरी से इन्कम आदि में से कोई इन्कम प्राप्त हो रही है तो उसे यह छूट प्राप्त नहीं होगी।

(इ) इस प्रकार के व्यक्ति को पेंशन के अलावा केवल बैंक से ब्याज की इन्कम हो सकती है और बैंक भी वही होना चाहिए जिसके माध्यम से उसे पेंशन प्राप्त हो रही है। जैसे किसी करदाता को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से पेंशन प्राप्त हो रही है लेकिन उसने अपना सेविंग खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के इलावा पंजाब नेशनल बैंक में भी खुलवा रखा है तथा उसे दोनों खातों से कुछ ब्याज प्राप्त हो रहा है तो यह नई छूट प्राप्त नहीं होगी।

(एफ) करदाता को एक डिक्लरेशन फार्म बैंक के यहां फाईल करना होगा, इस फार्म का प्रफॉर्मा सरकार द्वारा बजट पास होने के उपरांत नोटिफाई किया जाएगा। इस फार्म में इस पेंशनर द्वारा टैक्स सेविंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स की गई है उसकी जानकारी बैंक को देनी होगी।

(जी) इस नई छूट के तहत बैंक की यह डयूटी होगी कि करदाता की पेंशन व बैंक खाते से जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसके ऊपर जितना इन्कम टैक्स बनता है वह टीडीएस के रूप में काट लेवे तथा जमा करवा देवें।

नोट : इस नई छूट में जितनी शर्तें लगाई गई हैं उसे देखते हुए इस छूट का लाभ बहुत कम करदाताओं को मिल सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जितने व्यक्ति रिटर्न फाईल करते हैं उसमें से 0.5% से कम करदाता को इस छूट का लाभ मिलेगा।

इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करने की अधिकतम समय सीमा 3 माह कम की, रिटर्न को रिवाईज करने की समय सीमा भी कम की

इन्कम टैक्स रिटर्न सामान्यतः लेट फीस के साथ कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year) की समाप्ति तक फाईल की जा सकती है, जैसे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष की रिटर्न लेट फीस के साथ 31.03.2021 तक फाईल की जा सकती है।

इन्कम टैक्स कानून में यह भी सुविधा है कि यदि आपसे रिटर्न फाईल करने में कोई गलती रह गई है तो आप ऐसी रिटर्न को रिवाईज कर सकते हैं। रिटर्न को रिवाईज करने की समय सीमा भी कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति तक होती है जैसे आपने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न 30 अगस्त 2020 को फाईल की। इस मूल रिटर्न में आपसे कोई गलती रह गई तो आप इसे 31 मार्च 2021 तक रिवाईज कर सकते हैं। अगले वर्ष (A.Y. 2021-22) से इस नियम को संशोधित कर यह समय सीमा 31 दिसम्बर कर दी गई है, यानि 31 मार्च 2021 को जो वर्ष समाप्त होगा उसकी रिटर्न ड्यू डेट के बाद लेट फीस के साथ 31.12.2021 तक ही जमा हो सकेगी तथा 31 मार्च 2021 को जो वर्ष समाप्त हुआ है उसकी रिटर्न को रिवाईज भी 31 दिसम्बर 2021 तक ही किया जा सकेगा। पहले यह कार्य 31 मार्च तक किया जा सकता था। इस प्रकार अब इन दोनों कार्यों को करने की समय सीमा में तीन माह की कमी की गई है। [Sec. 139(4),(5)]

प्रोविडेंड फण्ड में कर्मचारी द्वारा अधिक रकम जमा करवाने पर ब्याज की छूट नहीं मिलेगी [धारा 10(11), (12)]

सरकारी कर्मचारी की सेलरी में से एक निश्चित रकम प्रत्येक माह उसके प्रोविडेंड फण्ड (PF) खाते में जमा हो जाती है तथा यह रकम ब्याज सहित कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिल जाती है। सामान्यतः Recognized प्रोविडेंड फण्ड खाते में से प्राप्त ब्याज इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 10(11), (12) के तहत करमुक्त होता है। इस बजट में यह कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों से काफी कर्मचारी पीएफ खाते में निर्धारित रकम से ज्यादा रकम जमा करवाने लग गए हैं। ऐसा शायद वो इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि उन्हें इस रकम पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर टैक्स न लगे, जैसे किसी कर्मचारी की सलाना सेलरी 20 लाख रु. है, मान लीजिए उसका नियमानुसार PF लगभग 2 लाख रु. बनता है, लेकिन उसके द्वारा स्वैच्छिक रूप से PF में अधिक राशि वेतन में से कटवा कर जमा करवाई जा रही है, जैसे इस कर्मचारी द्वारा वर्ष भर में 2 लाख रु. के बदले मान लीजिए 5 लाख रु. वेतन में से कटवा कर PF एकाउंट में जमा करवा दिये। ऐसे में इस कर्मचारी को इस 5 लाख रु. पर जो ब्याज रिटायरमेंट के समय मिलेगा वह करमुक्त होगा। यह भी देखने में आ रहा है कि बैंक FD, पोस्ट ऑफिस FD पर ब्याज की रेट में PF पर प्राप्त ब्याज रेट की तुलना में काफी कमी आ चुकी है।

बजट 2021 में इस धारा में अगले वर्ष यानि F.Y. 2021-22 से यह परिवर्तन किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी वर्ष भर में अपने वेतन में से PF एकाउंट में 2.50 लाख रु. से अधिक रकम जमा करवाएगा तो इस अधिक रकम पर ब्याज की छूट प्राप्त नहीं होगी, जैसे F.Y. 2021-22 में किसी कर्मचारी ने अपने PF एकाउंट में मान लीजिए 4 लाख रु. जमा करवा दिए, यह कर्मचारी दो वर्ष बाद रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के समय इस अतिरिक्त रकम यानि 1.50 लाख रु. (4–2.50) पर जो ब्याज कैल्कुलेट होकर प्राप्त होगा वह करमुक्त नहीं होगा। 2.50 लाख रु. पर जो ब्याज प्राप्त होगा वह पूर्व की भांति करमुक्त होगा।

सरकार द्वारा यह संशोधन कर उच्च वेतन वर्ग पर रिटायरमेंट के समय मिलने वाली रकम के कुछ अंश पर अप्रत्यक्ष रूप से इन्कम टैक्स लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

ULIP (Unit Linked Insurance Plan) की मैच्योरिटी पर इन्कम टैक्स लगाने का प्रयास [धारा 10(10डी)]

इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 10(10डी) के तहत लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर प्राप्त रकम करमुक्त होती है। इस धारा में इस हेतु यह शर्त है कि लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सलाना प्रीमियम Sum Assured के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने 20 लाख रु. की बीमा पॉलिसी ली जिसका सलाना प्रीमियम लगभग 1.50 लाख रु. है, यह पॉलिसी मान लीजिए 12 वर्ष बाद मैच्योर हो गई तथा 12 वर्ष बाद 18 लाख रु. के निवेश के बदले 25 लाख रु. प्राप्त हुए, तो करदाता को ऐसे में इस लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो 7 लाख रु. की आय प्राप्त हुई वह इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 10(10डी) के तहत करमुक्त होती है।

बजट 2021 के द्वारा इस धारा में दी गई रियायत को कम करने का प्रयास किया गया है। सरकार ने मेमोरेंडम में लिखा कि लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की जा रही है उसमें काफी निवेशकों द्वारा काफी बड़ी मात्रा में रकम शायद इस भावना से निवेशित की जा रही है कि इस पॉलिसी पर जो आय प्राप्त होगी उस पर धारा 10(10डी) के तहत इन्कम टैक्स नहीं लगेगा। सामान्यतः ऐसी पॉलिसी जो इन्वेस्टमेंट+इंश्योरेंस का मिश्रण है वह यूलिप कहलाती है।

1 फरवरी 2021 या उसके बाद लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा जारी किसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के तहत यदि सलाना प्रीमियम 2.50 लाख रु. से अधिक है तो उस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर धारा 10(10डी) के तहत इन्कम टैक्स का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानि ऐसी पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसी पॉलिसीज जो 1.02.2021 से पूर्व जारी हो चुकी हैं उन पर धारा 10(10डी) का लाभ जारी रहेगा। यदि इस प्रकार की पॉलिसी की मैच्योरिटी डैथ केस से सम्बन्धित है तो धारा 10(10डी) का लाभ मिलेगा।

यदि 1.02.2021 के बाद किसी निवेशक ने एक से अधिक यूलिप प्लान लिये तथा उन सब प्लानस को जोड़ कर सलाना प्रीमियम 2.50 लाख रु. से अधिक है तो उसे धारा 10(10डी) की छूट केवल उन प्लानस् की मैच्योरिटी के सम्बन्ध में ही मिल सकेगी जिनमें कुल मिलाकर सलाना प्रीमियम 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं है।

ऐसा यूलिप इंश्योरेंस प्लान जिसमें सलाना प्रीमियम 2.50 लाख रु. से अधिक है, उसमें निवेशक द्वारा जो रकम जमा करवाई गई है वह इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 2(14) के तहत Capital Assets मानी जाएगी, यानि ऐसे इंश्योरेंस प्लान की मैच्योरिटी पर जो इन्कम होगी व केपीटल गेन के रूप में करयोग्य होगी तथा इस पर इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 111A & 112A के तहत इन्कम टैक्स लगेगा जैसा कि Equity Oriented Fund के यूनिट्स को बेचने पर लगता है।

लाईफ इंश्योरेंस कम्पनीज द्वारा जारी यूलिप प्लानस् की मैच्योरिटी या Partial Withdrawal पर दिनांक 01.02.2021 से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी लागू कर दिया गया है। यह फिलहाल केवल उन ULIP पॉलिसीज के सम्बन्ध में लागू किया गया है जिसमें सलाना प्रीमियम 2.50 लाख रु. से अधिक है।

इन्कम टैक्स स्क्रुटनी का नोटिस जारी करने व फैसला करने सम्बन्धी समय सीमा [धारा 143(1),(2),(3)]

इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 143 में तीन प्रकार की समय सीमाएं अलग–अलग कार्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। बजट 2021 के द्वारा A.Y. 2021-22 से इन तीन नियमों में निम्न परिवर्तन किये गये हैं :–

(1) धारा 143(1) : जब इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल की जाती है तो CPC बेंगलोर द्वारा उस रिटर्न की प्रोसैसिंग कर एक इंटीमेशन करदाता को इस धारा के तहत भिजवाई जाती है, जिससे करदाता को यह पता चलता है कि उसका विभाग द्वारा कितना टैक्स, कितना ब्याज, कितना रिफण्ड, कितनी डिमांड आदि रिटर्न की प्रोसैसिंग पर बनाई गई है। वर्तमान कानून में यह इंटीमेशन जारी करने की समय सीमा जिस वर्ष में रिटर्न फाईल की गई है उस वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष तक निर्धारित है। जैसे F.Y. 2019-20 की इन्कम टैक्स रिटर्न मान लीजिए 20 दिसम्बर 2020 को फाईल की गई तो इन्कम टैक्स विभाग द्वारा धारा 143(1) के तहत इस रिटर्न की प्रोसैसिंग कर इंटीमेशन जारी करने की अधिकतम समय सीमा 31 मार्च 2022 तक है। इस समय सीमा को अब तीन माह से कम किया गया है, यानि भविष्य में धारा 143(1) की इंटीमेशन जारी करने की समय सीमा "nine months from the end of the financial year in which the return was furnished" होगी।

(2) धारा 143(2) : इन्कम टैक्स की रिटर्न जो फाईल की जाती हैं उनमें से कुछ रिटर्न जांच हेतु

स्लैक्ट की जाती हैं, जिसे इन्कम टैक्स की भाषा में स्क्रुटनी कहा जाता है। जो रिटर्न स्क्रुटनी हेतु स्लैक्ट की जाती हैं उसमें सर्वप्रथम धारा 143(2) का नोटिस जारी किया जाता है। वर्तमान कानून में यह नोटिस जारी करने की समय सीमा जिस Financial Year में रिटर्न फाईल की गई है उस Financial Year की समाप्ति के 6 माह है। इस अवधि में भी बजट 2021 में तीन माह की कमी की गई है। भविष्य में यह नोटिस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह तक ही जारी किया जा सकेगा। जैसे F.Y. 2019-20 की रिटर्न 20.12.2020 को फाईल की गई। इस प्रकार यह रिटर्न F.Y. 2020-21 के दौरान जमा हुई है तथा इस Financial Year की समाप्ति के बाद तीन माह का समय 30 जून 2021 को समाप्त होगा। ऐसे में स्क्रुटनी का नोटिस 30 जून 2021 तक ही जारी हो सकेगा।

(3) धारा 143(3) : जो इन्कम टैक्स रिटर्न स्क्रुटनी हेतु स्लैक्ट की जाती है उसका असैसमेंट ऑर्डर धारा 143(3) में पारित किया जाता है। बजट 2021 के द्वारा इस ऑर्डर को पास करने की समय सीमा को तीन माह कम किया गया है। कुछ वर्ष पूर्व स्क्रुटनी ऑर्डर पास करने की समय सीमा 24 माह होती थी, फिर इसको कम करके 21 माह, फिर कम करके इसको 18 माह, फिर कम करके इसको 12 माह किया गया। जैसे A.Y. 2019-20 की रिटर्न की स्क्रुटनी ऑर्डर फाईनल करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2021 है। यह बात अलग है कि इस वर्ष कोविड–19 व फेसलैस असैसमेंट प्रक्रिया के कारण यह समय सीमा बढ़ा दी जाए।

बजट 2021 के द्वारा भविष्य में स्क्रुटनी ऑर्डर पास करने की अन्तिम तिथि कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर तय की गई है, जैसे A.Y. 2020-21 की इन्कम टैक्स रिटर्न में स्क्रुटनी असैसमेंट ऑर्डर पास करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2021 बनेगी।

(4) ऑडिट रिपोर्ट में दिखाई गई इन्कम को धारा 143(1) में कन्सीडर किया जा सकेगा : सामान्यतः धारा 143(1) में इन्कम टैक्स विभाग द्वारा बहुत सीमित मात्रा में एडजस्टमेंट किये जाते हैं, क्योंकि जो विवादित एडजस्टमेंट होते हैं, उन्हें विभाग के पास धारा 143(1) के तहत कन्सीडर करने की पावर नहीं होती। काफी ट्रिब्युनल्स व हाईकोर्ट्स के जजमेंट विभाग के खिलाफ इस आधार पर आए कि धारा 143(1) के तहत इन्कम में एडजस्टमेंट करने की पावर बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

बजट 2021 के द्वारा धारा 143(1)(a)(iv) के तहत विभाग को यह पावर दी गई है कि वह रिटर्न की प्रोसैसिंग करते समय करदाता द्वारा फाईल की गई ऑडिट रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं के आधार पर करदाता की इन्कम को बढ़ा सके। यह प्रावधान 01.04.2021 से लागू हो जाएगा। इस हेतु कानून में लिखा गया है Amendment in section 143(1)(a)(iv) to allow the adjustment on account of increase in income indicated in the aduit report but not taken into account in computing the total income.

रिअल एस्टेट के व्यापार में सेल कन्सीड्रेशन व सर्किल रेट में अन्तर होने पर [धारा 43CA & 56(2)(x)]

इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 43CA कहती है कि ऐसा बिल्डर/डवलपर जिसका मुख्य व्यापार रिअल एस्टेट का है, उसके लिए बिजनेस इन्कम की गणना करते समय जो फ्लैट्स उसके द्वारा बेचे गए हैं उसका विक्रय मूल्य उस फ्लैट की स्टाम्प डयूटी वैल्यू से कम है तो जो उस फ्लैट की स्टाम्प डयूटी वैल्यु (Circle Rate / DLC Rate) होगी उसी को सेल कन्सीड्रेशन मान लिया जाएगा, यदि यह फर्क 10 प्रतिशत तक है तो इसे छोड़ दिया जाएगा।

उदाहरण : एक बिल्डर ने वर्ष के दौरान 6 फ्लैट्स का निर्माण किया तथा प्रत्येक फ्लैट को 60 लाख रु. में बेच दिया। जब इस फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई गई तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा इस फ्लैट की कीमत स्टाम्प डयूटी हेतु 70 लाख रु. मानी गई। ऐसे में इस बिल्डर को अपनी इन्कम टैक्स रिटर्न भरते समय धारा 43CA के तहत 70 लाख रु. के हिसाब से वैल्यु मानते हुए प्रोफिट कैल्कुलेट करना होगा चाहे उसने फ्लैट 60 लाख रु. के हिसाब से ही बेचे हों। इसी प्रकार इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x) कहती है कि जहां खरीददार ने फ्लैट स्टाम्प डयूटी वैल्यु से कम में खरीदा है तो अन्तर की रकम उसकी अन्य साधनों से इन्कम मानी जाएगी। इसी उदारहण में खरीददार के लिए यह अन्तर की राशि 10 लाख रु. (70–60) Income from other source under section 56(2)(x) मानी जाएगी। इस प्रकार धारा 43CA के तहत बिल्डर/डवलपर को पकड़ लिया तथा धारा 56(2)(x) के तहत फ्लैट खरीदने वाले को पकड़ लिया।

बजट 2021 में इस नियम में कुछ राहत दी गई है। इस राहत के मुख्य बिन्दु निम्न हैं :–

(अ) फ्लैट की रजिस्ट्री 12.11.2020 से 30.06.2021 के दौरान हो।

(ब) बिल्डर/डवलपर द्वारा प्रथम अलॉटमेंट के रूप में यह फ्लैट बेचा जाए।

(स) बिल्डर/डवलपर द्वारा जो प्रोपर्टी बेची जा रही है वह Residential Unit होनी चाहिए, यानि कॉमर्शियल प्रोपर्टी पर यह रियायत लागू नहीं है।

(द) ऐसी Residential Unit की कीमत दो करोड़ रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उक्त चार शर्तें पूरी होने पर यदि सेल कन्सीड्रेशन और सर्किल रेट/डीएलसी रेट 20 प्रतिशत तक का अन्तर है तो उसे धारा 43CA व 56(2)(x) के संदर्भ में ignor कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी बिल्डर ने उक्त अवधि के दौरान कोई फ्लैट प्रथम आबंटन के रूप में 60 लाख रु. का बेचा तथा उसकी रजिस्ट्री हेतु सर्किल रेट यदि 72 लाख रु. तक है तो इस 12 लाख रु. के अन्तर की राशि पर बिल्डर/डवलपर व खरीददार को कोई अतिरिक्त इन्कम टैक्स नहीं लगेगा।

कर्मचारी का पीएफ समय पर न जमा करवाने पर इन्कम टैक्स में काफी नुकसान हो जाएगा [धारा 36(1)(va) & 43B]

ऐसे व्यापारी विशेष रूप से फैक्ट्री ऑनर्स जो कि PF & ESI के दायरे में आते हैं यानि ऐसे नियोक्ता (Employer) द्वारा अपने कर्मचारी (Employee) के वेतन में से PF की रकम काट कर तथा उसमें अपना अंशदान (Employer's Contribution) जोड़ कर PF & ESI विभाग को प्रतिमाह एक डयू डेट तक (सामान्यतः अगले माह की 15 तारीख तक) जमा करवाया जाता है। व्यवहार में कई बार किसी सद्भाविक गलती से या आर्थिक संसाधनों की कमी के मद्देनजर यह रकम जमा करवाने में कुछ देरी हो जाती है। पूर्व में विभिन्न ट्रिब्युनल्स व हाईकोर्ट्स का इस सम्बन्ध में व्यापारी के पक्ष में यह फैसला आया हुआ था कि जहां PF & ESI की राशि जमा करवाने में कुछ देरी हुई, लेकिन यह PF & ESI की राशि इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करने की डयू डेट तक जमा करवा दी गई तो उस सम्बन्ध में कोई Disallowance/addition नहीं बनता। पिछले कुछ वर्षों से CPC बैंगलोर द्वारा भी इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रोसैसिंग करते समय टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वर्णित PF & ESI जमा करवाने की डेट के हिसाब से इन्कम टैक्स की डिमांड निकाली जा रही है। जिसके विरूद्ध करदाता को अपील्स फाईल करनी पड़ रही हैं। बजट 2021 में इस नियम में और अधिक सख्ती कर दी गई है। A.Y. 2021-22 से इस सम्बन्ध में इन्कम टैक्स एक्ट के Section 36(1)(va) & 43B में निम्न परिवर्तन किये गये हैं:–

(1) Section 36(1)(va) - Employee Contribution : वित्तीय वर्ष 2020–21 से यदि कर्मचारी के वेतन में से काटे गये अंशदान को जमा करवाने में नियोक्ता द्वारा देरी की जाती है तो यह रकम नियोक्ता (Employer) की इन्कम में धारा 2(24)(x) के तहत जुड़ जाएगी। सरकार ने बजट में लिखा है कि जो रकम कर्मचारी के वेतन में से काट ली गई वह मालिक के पास कुछ दिनों के लिए अमानत के रूप में रखी जा सकती है, लेकिन PF & ESI एक्ट में Contribution जमा करवाने की जो डयू डेट है यदि उस डयू डेट के बाद Contribution जमा करवाया जाता है तो इस रकम पर मालिक को इन्कम टैक्स भी अदा करना पड़ जाएगा।

उदाहरण : एक फैक्ट्री में 40 मजदूर/कर्मचारी कार्य करते हैं। इस फैक्ट्री हर महिने उनके वेतन में से PF की रकम काटकर व अपना हिस्सा उसमें जोड़ कर जमा करवाया जाता है। अप्रेल 2021 माह में कर्मचारियों के वेतन में से 30,000 रु. PF बाबत काटे गये। यह रकम मान लीजिए 15 मई 2021 तक जमा करवानी थी। किसी कारण फैक्ट्री मालिक द्वारा यह रकम 15 मई 2021 को जमा नहीं करवाई जा सकी बल्कि वह इसे 18 मई 2021 को जमा करवा सका, यानि उससे तीन दिन की देरी हो गई। ऐसी परिस्थिति में यह 30, 000 रु. फैक्ट्री मालिक की इन्कम मान ली जाएगी तथा इस पर फैक्ट्री मालिक को इन्कम टैक्स अदा करना पड़ जाएगा। ऐसे में इस सख्ती के बाद Employee Contribution को समय पर जमा करवाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

(2) Section 43B - Employer Contribution : बजट 2021 में इस धारा में यह संशोधन किया गया है कि धारा 43बी केवल Employer Contribution पर लागू होगी न कि Employee Contribution पर। धारा 43बी में यह रियायत है कि इन्कम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक अगर Employer Contribution जमा करवा दिया जाता है तो उस पर कोई अतिरिक्त इन्कम टैक्स नहीं देना होगा।

स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसायटी आदि के लिए इन्कम टैक्स में किये गये परिवर्तन [धारा 10(23C)(iiiad) & (iiiae)]

स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसायटी आदि के सम्बन्ध में बजट 2021 में मुख्य रूप से निम्न परिवर्तन प्रस्तावित किये गये हैं :–

(1) इन्कम टैक्स अनुमोदन (Approval) हेतु Gross Receipts की लिमिट एक करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. की गई : इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 10(23C)(iiiad) के तहत शैक्षणिक संस्थाओं (Educational Institutions) को इन्कम टैक्स में छूट प्राप्त है। इस धारा के तहत वही शैक्षणिक संस्थाएं कवर होती हैं जिनकी Rule 2BC के तहत सलाना प्राप्तियां (Annual Gross Receipts) एक करोड़ रु. से अधिक नहीं है। इसी प्रकार धारा 10(23C)(iiiae) के तहत चैरिटेबल हॉस्पीटल्स को भी इन्कम टैक्स में छूट प्राप्त है बशर्ते उनकी सकल सलाना प्राप्तियां एक करोड़ रु. से अधिक न हों, यदि उक्त दोनों प्रकार के संस्थाओं की सलाना प्राप्तियां एक करोड़ रु. से अधिक हो जाती हैं उन्हें इन्कम टैक्स एक्ट के तहत अपनी संस्था को अनुमोदित करवाना पड़ता है तथा इन्कम टैक्स में छूट लेने हेतु काफी शर्तों व नियमों को पूरा करना पड़ता है। बजट 2021 में A.Y. 2022-23 से इस धारा में विशेष रियायत दी गई है जिसके तहत अगले वर्ष से यह **एक करोड़ रु. की सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रु.** कर दी गई है। यह रियायत काफी स्वागत योग्य है।

व्यवहार में यह देखने में आता है कि कई बार एक ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा अपने अधीन कई प्रकार के स्कूल, कॉलेज संचालित किये जाते हैं। जैसे एक ट्रस्ट के अण्डर एक स्कूल चल रहा है, एक कॉलेज चल रहा है, एक बी.एड. कॉलेज चल रहा है आदि। पूर्व में विभिन्न ट्रिब्युनल्स द्वारा संस्थाओं के पक्ष में ऐसा निर्णय भी पारित किया गया कि धारा 10(23C)(iiiad) के अनुक्रम में एक करोड़ रु. की सलाना सकल प्राप्तियों की कैल्कुलेशन करते समय सभी यूनिट्स की सकल प्राप्तियां कन्सोलीडेट करके नहीं देखी जाएंगी बल्कि अलग–अलग ही देखी जाएंगी। इस कानूनी विवाद को भी इस बजट में समाप्त किया गया है। भविष्य में जो 5 करोड़ रु. की जो सीमा देखी जाएगी वह एक ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा संचालित सभी स्कूल/कॉलेज/यूनिट्स की सकल प्राप्तियों को जोड़ कर देखी जाएगी।

(2) कोरपस फण्ड डोनेशन में से खर्चा करने पर इसे एप्लीकेशन ऑफ इन्कम नहीं माना

जाएगा : इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 11(1)(d) के तहत कोरपस फण्ड में दिया गया डोनेशन ट्रस्ट/सोसायटी की टोटल इन्कम की गणना में काउंट नहीं होता। दूसरी तरफ ट्रस्ट एवं सोसायटी को वर्ष भर में जो डोनेशन या अन्य प्राप्तियां प्राप्त हुई हैं उसका 85 प्रतिशत खर्च करना होता है जिसे कानून की भाषा में एप्लीकेशन ऑफ इन्कम कहा जाता है। विभाग का कहना है कि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा कोरपस डोनेशन में प्राप्त रकम में से कोई खर्चा किया तथा उस खर्चे को 85 प्रतिशत की गणना करते समय एप्लीकेशन ऑफ इन्कम का हिस्सा मान लिया। ऐसे में विभाग का मानना है कि ट्रस्ट/सोसायटी ने डबल छूट ले ली, क्योंकि कोरपस फण्ड में जब अंशदान प्राप्त हुआ तो वह कुल इन्कम का हिस्सा नहीं माना गया तथा इस रकम में से जब खर्चा किया गया तो उस खर्चे को एप्लीकेशन ऑफ इन्कम का हिस्सा मान लिया। अगले वर्ष यानि A.Y. 2022-23 से कोरपस फण्ड के सम्बन्ध में कानून में निम्न दो परिवर्तन किये गये हैं :–

(ए) कोरपस फण्ड में जो भी अंशदान प्राप्त होगा उसका निवेश (Investment/Deposit) धारा 11(5) में वर्णित Specified modes में ही किया जाएगा।

(बी) कोरपस फण्ड में से जो खर्चा किया गया है उसे एप्लीकेशन ऑफ इन्कम का पार्ट नहीं माना जाएगा।

(3) लोन लेकर किया गया खर्चा भी एप्लीकेशन ऑफ इन्कम नहीं माना जाएगा : ट्रस्ट व सोसायटी के मामले में एप्लीकेशन ऑफ इन्कम की गणना करते समय केपीटल एक्सपेंडिचर की भी छूट प्राप्त होती है। बजट 2021 में कहा गया है कि इन्कम टैक्स विभाग की नजर में कई ऐसे मामले आए हैं जहां ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा लोन लेकर कोई खर्चा किया या कोई सम्पत्ति खरीदी तो उसे एप्लीकेशन ऑफ इन्कम का पार्ट मान लिया गया तथा बाद में जब लोन की रिपेमेंट की तो इस रिपेमेंट की रकम को भी एप्लीकेशन ऑफ इन्कम का पार्ट मान लिया। इस प्रकार एक खर्चे के सम्बन्ध में दो बार छूट ले ली। A.Y. 2022-23 से यह परिवर्तन किया गया है कि ऋण/उधार (Loan and Borrowings) लेकर उसमें से किया गया खर्चा इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 10(23C) तथा धारा 11 के उद्देश्य से एप्लीकेशन ऑफ इन्कम नहीं माना जाएगा, लेकिन इस लोन की जब वापिसी की जाएगी तो ऐसी वापिसी की रकम एप्लीकेशन ऑफ इन्कम मानी जा सकेगी।

उदाहरण : एक स्कूल द्वारा 20 लाख रु. में बस खरीदी गई। इस बस को खरीदते समय 15 लाख रु. का बैंक से लोन लिया गया। ऐसी स्थिति में नए नियमों के तहत एप्लीकेशन ऑफ इन्कम की कैल्कुलेशन करते समय बस खरीद बाबत 5 लाख रु. ही काउंट किए जाएंगे। मान लीजिए इस 15 लाख रु. के लोन को आगे आने वाले तीन वर्षों में चुका दिया गया यानि प्रत्येक वर्ष ब्याज की अलावा 5 लाख रु. जमा करवा दिये गये तो आगे आने वाले प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रु. एप्लीकेशन ऑफ इन्कम माने जाएंगे।

(4) पिछले वर्ष के खर्चों/हानि का लाभ अगले वर्ष में नहीं मिल सकेगा : कई बार व्यवहार में यह देखने में आता है कि ट्रस्ट या सोयायटी द्वारा किसी वर्ष में खर्चा 85 प्रतिशत से अधिक कर दिया या यूं कहें कि खर्चा 100% से भी अधिक कर दिया, यानि ट्रस्ट को लोस हो गया। ऐसे में विभिन्न ट्रिब्युनल्स द्वारा ट्रस्ट/सोसायटी के पक्ष में इस बिन्दु पर निर्णय दिया जा चुका है कि पिछले वर्ष की Excess application या सामान्य शब्दों में यूं कहें कि पिछले वर्ष के लोस का सैटऑफ इस वर्ष में कर लिया गया तो जितना सैटऑफ इस वर्ष में किया गया है उस हद तक रकम इस वर्ष के लिए एप्लीकेशन ऑफ इन्कम का हिस्सा मानी जाएगी। बजट 2021 के द्वारा A.Y. 2022-23 से यह सुविधा समाप्त कर दी गई है, यानि भविष्य में किसी ट्रस्ट या सोयायटी द्वारा पिछले वर्ष के लोस का इस वर्ष में सैटऑफ किया जाता है तो ऐसी सैटऑफ की रकम को एप्लीकेशन ऑफ इन्कम का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

नोट : बजट 2021 के द्वारा ट्रस्ट व सोसायटी सम्बन्धी उक्त जो परिवर्तन प्रस्तावित किये गये हैं वे परिवर्तन ज्यादातर उन रूलिंग्स का प्रभाव समाप्त करने के उद्देश्य से किये गये हैं जिन रूलिंग्स में उक्त बिन्दुओं पर निर्णय इन्कम टैक्स विभाग के विरूद्ध आया हुआ है।

रिटर्न फाईल करने के लिए ऑनलाईन ईअसैसमेंट सैन्टर द्वारा नोटिस जारी किया जा सकेगा (धारा 142)

इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 142(1) के तहत यदि किसी करदाता ने अपनी इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल नहीं की तो उसके Assessing Officer को यह पावर प्राप्त है कि वह रिटर्न फाईल करने के लिए नोटिस इश्यु कर सकता है। पिछले कुछ समय से इन्कम टैक्स विभाग में अधिकांश कार्य ईप्रोसिडिंग के जरिए ऑनलाईन रूप से होने लगा है तथा कुछ प्रक्रियाएं पूरी तरह से Faceless हो गई हैं। विभाग द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिसके तहत सैन्ट्रलाईज स्थान से ऑनलाईन नोटिस जारी किये जा सकें। दिनांक 01.04.2021 से धारा 142(1) में यह परिवर्तन किया गया है कि करदाता के असैसिंग ऑफिसर के साथ–साथ Prescribed Income Tax Authority को भी यह नोटिस जारी करने का अधिकार प्राप्त होगा।

रिअसैसमेंट, सर्वे, सर्च सम्बन्धी नियमों में काफी परिवर्तन (धारा 148, 153A, 153C)

इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 147 के तहत Reassessment यानि पुनः कर निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान दिये गये हैं। आमभाषा में रिअसैसमेंट का अभिप्राय है पिछले किसी वर्ष की इन्कम पर इन्कम टैक्स लगने से रह गया तो उस केस को पुनः खोल कर उसका पुनः कर निर्धारण किया जाए। वर्तमान

कानून में पुनः कर निर्धारण का नोटिस जारी करने की समय सीमा 6 वर्ष है, यानि वर्तमान कर निर्धारण वर्ष को छोड़ कर उसके पीछे के 6 वर्षों का केस खोला जा सकता है, जैसे 31.03.2021 तक 31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष का केस पुनः खोला जा सकता है।

बजट 2021 में एक स्वागत योग्य कदम यह उठाया गया है कि पूर्व में इन्कम टैक्स में जो पुनःकर निर्धारण (Reassessment) पिछले 6 वर्षों का किया जा सकता था, जबकि इस अवधि को अब घटा कर तीन वर्ष तक प्रस्तावित किया गया है। सरकार का कहना है कि इस अवधि को कम इसलिए किया जा रहा है कि टैक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने के साथ–साथ करदाता से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाएं ऑनलाईन रूप से विभिन्न माध्यम से प्राप्त हो रही हैं तथा भविष्य में स्क्रुटनी व पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही पूरी तरह से **"Information based"** होगी। सरकार द्वारा मेमोरेंडम में इस सम्बन्ध में लिखा गया है कि "Due to advancement of technology, the department is now collecting all relevant information related to transactions of taxpayers from third parties under section 285BA of the Act (statement of financial transaction or reportable account). Similarly, information is also received from other law enforcement agencies. This information is also shared with the taxpayer through Annual Information Statement under section 285BB."

पुनः कर निर्धारण (Reassessment) की समय सीमा व प्रक्रिया बदलने के साथ–साथ बजट 2021 में सर्वे, सर्च, सीजर के केसेज में भी स्क्रुटनी असैसमेंट की प्रक्रिया में बदलाव लाया गया है। इस सम्बन्ध में इन नए नियमों की प्वॉइंटवाईज जानकारी इस प्रकार है :–

(1) सर्च एवं सीजर के मामलों में वर्तमान में असैसमेंट धारा 153A & 153C में होता है। ***ऐसी सर्च या सीजर की कार्यवाही जो 01.04.2021 या उसके उपरांत की जाएगी उस पर धारा 153 A & 153C के प्रावधान लागू नहीं होंगे।*** दूसरे शब्दों में 31.03.2021 तक जो सर्च व सीजर की कार्यवाही हो चुकी होगी केवल उन्हीं पर धारा 153A & 153C के नियमों के तहत असैसमेंट होगा।

(2) ***ऐसी सर्च, सीजर या सर्वे की कार्यवाही जो 01.04.2021 या उसके बाद होगी उसमें कर निर्धारण (Assessment) धारा 147 के तहत होगा।*** ऐसा कर निर्धारण वर्तमान वर्ष के अलावा पिछले 3 वर्ष का किया जाएगा। जैसे किसी व्यापारी के यहां अप्रेल 2021 में सर्वे या सर्च की कार्यवाही हुई तो उसके पिछले तीन Assessment Year (2021-22, 2020-21, 2019-20) का असैसमेंट धारा 147 में किया जाएगा।

(3) धारा 147 में पहले मुख्य बिन्दु यह होता था कि "Assessing Officer has reason to believe that any income chargable tax has escaped" यानि धारा 147 की नींव **"reason to believe"** होती थी। अब नए सिस्टम में धारा 147 की नींव **"Information"** शब्द ने ले ली है। सरकार ने कहा है कि "Assessment or reassessment or re-computation of income

escaping assessment, to a large extent, is information-driven."

(4) इन्कम टैक्स विभाग को धारा 285BA के तहत विभिन्न विभागों से काफी तरह की सूचनाएं ऑनलाईन रूप से एक रिटर्न के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। इस रिटर्न का नाम "Statement of Financial tansaction or reportable account" है, इसे पूर्व में AIR कहा जाता था। ऐसे में इन्कम टैक्स विभाग के पास करदाताओं का ऐसा डाटा ऑनलाईन रूप से तैयार है जिनके द्वारा बड़ी वैल्यु के Financial Transaction किये गये हैं। इसके साथ–साथ एक विभाग को प्राप्त सूचना दूसरे विभाग के साथ भी शेयर की जा रही हैं। भविष्य में इन्कम टैक्स विभाग द्वारा ऑनलाईन माध्यम से विभिन्न बैंक्स, सबरजिस्ट्रारऑफिस, क्रेडिट कार्ड, होटलस्, कार डीलर्स, स्टॉक एक्सचेंज व अन्य डिपार्टमेंट्स से जो सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं, उन्हें मुख्य रूप से निम्न दो दृष्टिकोण से देखा जाएगा :–

(ए) जिस व्यक्ति की सूचना (Information) प्राप्त हुई है क्या उसने अपनी रिटर्न फाईल की है? यदि नहीं की तो उसे Non filer की केटेगिरी में लेकर जांच की जाएगी।

(बी) जिस व्यक्ति की सूचना (Information) प्राप्त हुई है उसके द्वारा उस ट्रांजैक्शन के Ratio में सही इन्कम दिखाई गई है अथवा नहीं।

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 23 लाख रु. में इनोवा गाड़ी खरीदी, चूंकि गाड़ी की कीमत 10 लाख रु. से अधिक है ऐसे में यह सूचना इन्कम टैक्स विभाग के डाटाबेस में पहुंच जाएगी। अब इन्कम टैक्स विभाग का डाटाबेस यह चैक करेगा कि इस व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित वर्ष की रिटर्न फाईल की गई है अथवा नहीं। यदि इसने रिटर्न फाईल नहीं की तो इसको नॉनफाईलर की केटेगिरी में डाल कर जांच की जाएगी। दूसरी तरफ मान लीजिए इस व्यक्ति ने अपनी रिटर्न 3 लाख रु. सलाना इन्कम दिखाते हुए फाईल की है तो विभाग द्वारा एक Risk Management Strategy Software बनाया गया है जिसके द्वारा यह चैक किया जाएगा कि इस व्यक्ति की इन्कम व इस व्यक्ति द्वारा खर्च/निवेश की गई रकम व इस व्यक्ति द्वारा बैंक के माध्यम से किये गये ट्रांजैक्शन के मद्देनजर इसे जांच में लेना चाहिए अथवा नहीं। विभाग द्वारा जो Information Based नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसके द्वारा ऑनलाईन रूप से प्राप्त सूचनाओं को Flag किया जाएगा। जिस–जिस सूचना के ऊपर Flag लगता चला जाएगा वह–वह केस सामान्यतः धारा 147 में कवर होता जाएगा। भविष्य में धारा 147 की कार्यवाही इन्हीं सूचनाओं को करदाता की इन्कम टैक्स रिटर्न से मिलान करके ऑनलाईन रूप से प्रारंभ की जाएगी।

सरकार द्वारा फाईनेंस बिल 2021 के साथ प्रस्तुत मेमोरेंडम में इस सम्बन्ध में कहा गया है कि :–

"Department use this information to verify the information declared by a taxpayer in the return and to defect non-filers or those who have not

disclosed the correct amount of total income."

"It is proposed to provide that any information which has been flagged in the case of the assessee for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the Board shall be considered as information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment. The flagging would largely be done by the computer based system."

(5) रिअसैसमेंट की नई प्रक्रिया : धारा 147 में रिअसैसमेंट करने के लिए दिनांक 01.04.2021 से नई प्रक्रिया बनाई गई है जो कि इस प्रकार है :–

(ए) नई धारा 148A : Enquiry before issuance of notice : सर्वप्रथम AO महोदय द्वारा रिअसैसमेंट का नोटिस जारी करने से पूर्व प्रारंभिक जांच की जाएगी। इस प्रारंभिक जांच के दौरान करदाता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा तथा करदाता ने ऐसे पत्र का जो उत्तर दिया है उसको कन्सीडर करते हुए AO महोदय द्वारा एक लिखित में ऑर्डर पास किया जाएगा कि यह केस रिअसैसमेंट के फीट केस है। ऐसा ऑर्डर पास करने से पूर्व AO महोदय को PCIT/PDIT/CIT/DIT ऑफिस से एप्रूवल लेनी होगी।

नोट : नई धारा 148ए में जो प्रारंभिक जांच की व्यवस्था बनाई गई है वह सर्च व सीजर के मामलों में लागू नहीं होगी।

(बी) धारा 148 का नोटिस जारी करना : AO महोदय द्वारा प्रारंभिक जांच करने के उपरांत उक्त धारा 148ए के तहत जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर की कॉपी के साथ केस को पुनः खोलने का नोटिस धारा 148 में जारी किया जाएगा। इस नोटिस को जारी करने की समय सीमा **धारा 149** में वर्णित की गई है, जोकि निम्न प्रकार है :–

(क) सामान्य परिस्थितियों में पिछले तीन Assessment Years से पहले की अवधि का नोटिस जारी नहीं हो सकेगा।

(ख) यदि AO महोदय के पास यह सूचना या साक्ष्य है कि करदाता ने पिछले 10 वर्षों में किसी वर्ष में 50 लाख रु. या अधिक की कोई आय नहीं दिखाई तो उस वर्ष का केस रिओपन किया जा सकेगा।

उदाहरण : मान लीजिए किसी व्यापारी के यहां अप्रेल 2021 में सर्च की कार्यवाही हुई। सर्च की कार्यवाही के दौरान एक ऐसा कागजात मिला कि करदाता ने अप्रेल 2012 में कोई प्रोपर्टी 60 लाख रु. में एग्रीमेंट पर नगद खरीद रखी है तथा इस प्रोपर्टी को बुक्स ऑफ एकाउंट में नहीं दिखाया गया है तो ऐसे मामले में F.Y. 2012-13 का केस धारा 147 में रिओपन किया जा सकेगा।

नए कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां इस 50 लाख रु. की सीमा के आधार पर तीन वर्ष से पुराना लेकिन 10 वर्ष तक का केस रिओपन करना है तो ऐसा करने से पूर्व PCCIT/PDGIT/CCIT/DGIT के ऑफिस से अनुमति लेनी होगी।

(सी) सर्वे, सर्च, सीजर के मामले में अनिवार्य रूप से तीन वर्ष के केस रिओपन होंगे : 1 अप्रेल 2021 या उसके बाद जिस किसी के यहां इन्कम टैक्स सर्वे, सर्च, सीजर की कार्यवाही होगी उसके पिछले तीन वर्ष के केस अनिवार्य रूप से रिओपन किए जायेंगे। जैसा कि पहले बताया गया कि धारा 147 की कार्यवाही **"Information"** के आधार पर की जानी है ऐसे में नए कानून में यह लिख दिया गया कि सर्वे, सर्च, सीजर के मामले में यह मान लिया जाएगा कि AO महोदय के पास रिओपन करने के लिए **Information** उपलब्ध है। इस हेतु कानून में लिखा गया है "In search, survey or requisition cases initiated or made or conducted, on or after 1st April, 2021, it shall be deemed that the Assessing Officer has information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment in the case of the assessee for the three assessment years immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which the search is initiated or requisition is made or any material is seized or requisitioned or survey is conducted".

इस नए नियम के कारण सर्वे के केसेज में कार्य पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा क्योंकि पूर्व में जिस वर्ष सर्वे होता था व्यवहार में उसी वर्ष का केस रिओपन किया जाता था, बशर्ते पिछले वर्षों के कोई Incriminating Documents impound न किये गये हों, जबकि नए नियमों के अनुसार पिछले तीन वर्ष का रिअसैसमेंट अनिवार्य रूप से होगा।

(डी) रिअसैसमेंट में जांच का दायरा विस्तृत किया गया : वर्तमान कानून में धारा 147 के ऊपर काफी जजमेंट्स ऐसे आए हुए हैं कि जिस बिन्दु पर केस रिओपन किया गया है, यदि उस बिन्दु पर कोई एडीशन नहीं बनता तो अन्य किसी बिन्दु पर एडीशन नहीं किया जा सकता। नए कानून में सरकार ने विभाग को यह पावर भी दे दी है कि जिस बिन्दु पर केस रिओपन किया गया है, उस बिन्दु को जांचते समय कोई अन्य बिन्दु निगाह में आ गया है तो उस बाबत भी एडीशन किया जा सकेगा। इस हेतु कानून में लिखा गया है कि "Once assessment or reassessment or re-computation has started the Assessing officer is proposed to be empowered to assess or reassess the income in respect of any issue which has escaped assessment and which comes to his notice subsequently in the course of the proceeding under this procedure notwithstanding that the procedure prescribed in section 148A was not followed before issuing such notice for such income."

इस प्रकार बजट 2021 के द्वारा रिअसैसमेंट, सर्वे, सर्च, सीजर की सारी प्रक्रिया ही बदल दी गई है।

50 लाख रु. से ज्यादा की खरीद पर 0.1% की रेट से TDS काटना होगा (नई धारा 194Q)

पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2020 से इन्कम टैक्स एक्ट में माल बेचने वाले यानि सेलर के लिए एक नई धारा 206C(1H) बनाई गई थी, जिसके तहत जिस विक्रेता व्यापारी की पिछले वर्ष की सलाना बिक्री 10 करोड़ रु. से अधिक हे तथा वह किसी सिंगल खरीददार को वर्ष भर में 50 लाख रु. से अधिक का माल बेच रहा है तो उसे माल की पेमेंट प्राप्ति पर 50 लाख रु. से ऊपर की रकम पर 0.1% (कोविड के कारण 0.075%) की रेट से पेमेंट के ऊपर TCS एकत्र करके जमा करवाना है। बजट 2021 के द्वारा एक नई धारा 194Q बना कर यह नियम खरीददार के ऊपर भी लागू कर दिया गया है। यह नया नियम 1.7.2021 से लागू होगा। इस नए नियम के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:–

(1) धारा 194Q माल खरीदने वाले (Buyer) पर लागू की गई है।

(2) माल खरीदने वाले की यह जिम्मेवारी होगी कि वह पेमेंट करते समय 0.1% की रेट से TDS काट कर माल की पेमेंट करे।

(3) यह धारा उन व्यापारियों (Purchaser) पर लागू होगी जिनकी पिछले वर्ष की टर्नओवर 10 करोड़ रु. से अधिक है।

(4) यह TDS उस स्थिति में लागू होगा जब खरीददार व्यापारी द्वारा एक विक्रेता व्यापारी से वर्ष भर में 50 लाख रु. से अधिक का माल खरीदा जा रहा है।

(5) जो माल खरीदा जा रहा है उस पर यदि किसी अन्य धारा के तहत TDS or TCS किया जा रहा है तो उस पर यह नई धारा लागू नहीं होगी, जैसे लीकर (मदिरा) की बिक्री पर पहले से ही 1% TCS का नियम लागू है तो इस पर यह नई धारा लागू नहीं होगी।

(6) जहां सेलर द्वारा TCS नई धारा 206C(1H) के तहत किया जा रहा है वहां धारा 194Q के तहत TDS लागू होगा या नहीं तो इस सम्बन्ध में कानून कहता है कि यह TDS लागू होगा। इस प्रकार माल को बेचने वाला 0.1% से TCS एकत्र करेगा तथा माल को खरीदने वाला 0.1% की रेट से TDS Deduct करेगा, यानि 1 जुलाई 2021से एक ही ट्रांजैक्शन पर दोनों पक्षकार TCS/TDS करेंगे तथा सरकार को माल की कीमत का कुल मिलाकर 0.2% इन्कम टैक्स पहुंच जाएगा। इस TCS/TDS का इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करते समय क्रेडिट प्राप्त हो जाएगा।

(7) यदि माल बेचने वाले द्वारा खरीददार को अपना पेन नम्बर नहीं दिया तो TDS की रेट 5% हो जाएगी।

(8) यदि माल की एडवांस पेमेंट की जा रही है तो भी यह TDS लागू हो जाएगा।

टैक्स ऑडिट की लिमिट सम्बन्धी (धारा 44AB 44एबी)

बजट 2020 के द्वारा इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 44AB में यह सुविधा दी गई थी कि यदि व्यापारी की 95% पेमेंट्स बैंकिग चैनल से है तथा 95% रिसिप्ट्स बैंकिंग चैनल से हैं तो 5 करोड़ रु. की टर्नओवर तक टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस बजट के द्वारा A.Y. 2021-22 से इस सीमा को 5 करोड़ रु. से बढ़ा कर 10 करोड़ रु. कर दिया गया है। जिनकी 95% Payments & Receipts बैंकिंग चैनल से नहीं हैं उनके लिए टैक्स ऑडिट की सीमा एक करोड़ रु. ही है।

इन्कम टैक्स सम्बन्धी विविध परिवर्तन

(1) कर्मचारी को प्राप्त LTC Cash Scheme [Section 10(5)] : यदि कोई कर्मचारी दिनांक 12.01.2020 से 31.03.2021 के दौरान, उसे अपने Employer से प्राप्त LTC की रकम में से कोई ऐसी वस्तु या सेवा खरीद लेता है जिस पर कम से कम 12% GST लगा हो तथा इसका भुगतान बैंकिंग चैनल से करता है तो उसे 36 हजार रु. या ऐसे खर्चे का 1/3 हिस्सा जो कम होगा उसकी छूट नए नियमों में प्राप्त हो जाएगी।

(2) एफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजैक्ट (Section 80-IBA) : इस धारा में छूट लेने के लिए प्रोजैक्ट को एप्रूव करवाने की अन्तिम तिथि को 31.03.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। इसके साथ–साथ Migrant Labour की सुविधा के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग प्रोजैक्ट जो कि केन्द्र सरकार द्वारा नोटिफाई किये जाएंगे, को भी धारा 80-IBA का लाभ दिया जाएगा। एफोर्डेबल हाऊस खरीदने के लिए जो हाऊसिंग लोन लिया जाता है उसकी छूट धारा 80EEA में प्राप्त होती है। इस धारा के तहत हाऊसिंग लोन स्वीकृत होने की अवधि 31.03.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दी गई है।

(3) स्टार्टअप को प्राप्त छूट सम्बन्धी (Section 80-IAC & 54GB) : इस धारा में छूट लेने के लिए नए स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन 31.03.2021 तक हो जाना चाहिए था। इस बजट में इस तिथि को बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 54GB के तहत लोंग टर्म रेजिडेंशियल हाऊस प्रोपर्टी बेच कर Eligible Startup के इक्विटी शेयर्स में नेट कन्सीड्रेशन की रकम इन्वेस्ट करने पर केपीटल गेन में छूट प्राप्त है। इस धारा में प्रोपर्टी ट्रांसफर करने की समय सीमा 31.03.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 की गई है।

(4) सैटलमेंट कमीशन की समाप्ति (Section 245) : सर्च के मामलों में व्यापारी के पास यह विकल्प होता था कि वह सैटलमेंट कमीशन में एप्लीकेशन लगवा कर टैक्स व ब्याज अदा कर अपना केस कुछ शर्तों के साथ सैटल करवा सकता था। बजट 2021 के द्वारा दिनांक 01.02.2021 से इन्कम टैक्स एक्ट में सैटलमेंट कमीशन को एकदम से बन्द कर दिया गया है। जो एप्लीकेशन्स सैटलमेंट कमीशन के पास 31.01.2021 को पेंडिंग हैं उन एप्लीकेशन्स को या तो व्यापारी तीन

माह के अन्दर विड्रा कर ले अथवा इन एप्लीकेशन्स का निपटारा एक इंट्रीम बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इस बोर्ड में तीन मैम्बर होंगे जो कि चीफ कमीशनर रैंक के होंगे।

(5) छोटे विवादों को निपटाने की नई व्यवस्था (Dispute Resolution Committee) : ऐसे करदाता जिनकी Returned Income 50 लाख रु. से अधिक नहीं है तथा जिनकी विवादित इन्कम 10 लाख रु. से अधिक नहीं है वे अपना मामला चाहें तो इस DRC की नई प्रणाली से हल करवा सकेंगे। जिस व्यापारी के यहां सर्वे, सर्च, सीजर की कार्यवाही हुई है उसे DRC का लाभ नहीं मिलेगा। DRC को पेनल्टी व प्रोसिक्यूशन माफ करने की पावर होगी। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि व्यापारी को केवल टैक्स व ब्याज देना होगा। DRC की प्रक्रिया के सम्बन्ध में बजट पास होने के बाद अलग से स्कीम नोटिफाई की जाएगी। DRC में भी सुनवाई की प्रक्रिया Faceless होगी।

(6) इन्कम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल में भी सुनवाई फेसलेस होगी (Section 255) : इन्कम टैक्स कानून में असैसमेंट की कार्यवाही, पेनल्टी की कार्यवाही, प्रथम अपील की कार्यवाही पहले से ही फेसलेस की जा चुकी है। अब बजट 2021 में ITAT में होने वाली सुनवाई को भी फेसलेस करने की घोषणा की गई है। इस बाबत केन्द्र सरकार जल्द ही स्कीम नोटिफाई करेगी।

(7) फेक इन्वॉयस के मामले में और सख्ती : पिछले बजट में धारा 271AAD बना कर फेक इन्वॉयस के मामलों में इन्वॉयस की रकम के बराबर पेनल्टी का प्रावधान किया गया था। बजट 2021 में इस पेनल्टी की कार्यवाही को धारा 281B के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट के प्रावधानों में कवर कर लिया गया है। यह नियम 01.04.2021 से लागू हो जाएगा।

(8) गुडविल पर डेपरीसिएशन नहीं मिलेगा : धारा 32 के तहत गुडविल पर डेपरीसिएशन स्वीकार न किये जाने का नियम F.Y. 2021-22 से प्रास्तावित किया गया है।

(9) LLP को धारा 44ADA का लाभ नहीं मिल सकेगा : बजट 2021 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोफेशनल्स के लिए Presumptive Income Scheme (Section 44ADA) का लाभ Limited Liability Partnership (LLP) को नहीं मिलेगा।

(10) जिस व्यक्ति ने अपनी रिटर्न फाईल नहीं की उसका अधिक रेट से TDS काटा जाएगा : (धारा 206AB) : ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले दो वर्ष की अपनी इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल नहीं की है एवं इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है तथा उसका पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष का TDS 50 हजार रु. या अधिक है तो उसके केस में हायर रेट से TDS काटा जाएगा जो कि 5% या निर्धारित TDS रेट का डबल दोनों में से जो अधिक होगा, वह लागू होगा। इसी प्रकार का प्रावधान TCS के सम्बन्ध में एक नई धारा 206CCA बना कर किया गया है। सरकार यह चाहती है कि TDS की रेट ज्यादा करके जो व्यक्ति रिटर्न फाईल नहीं कर रहे हैं उनसे रिटर्न फाईल करवाई जावे। व्यवहारें यह नया नियम कठिन दिखाई दे रहा है।

बजट 2021 – GST

बजट 2021 के साथ प्रस्तुत फाईनेंस बिल 2021 के द्वारा CGST & IGST कानून में जो परिवर्तन प्रस्तावित किये गये हैं इनकी जानकारी निम्न प्रकार है :–

(1) अपने सदस्यों को दी गई सेवाएं [धारा 7(1)(aa)] : किसी क्लब या ग्रुप द्वारा अपने सदस्यों को किसी प्रतिफल (Consideration) के बदले कोई सेवाएं दी जा रही हैं तो वह भी सप्लाई शब्द की परिभाषा में कवर हो जाएंगी, तथा यह परिवर्तन 1.07.2017 से लागू किया गया है।

(2) इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी [धारा 16(2)(aa)] : इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम लेने के लिए एक नई शर्त जोड़ी गई है, वह यह है कि जिस सप्लायर से आपने कोई सप्लाई ली है उसके द्वारा अपनी आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट धारा 37 के अनुसार फाईल कर दिया गया है तथा उसमें आपको प्राप्त इन्वॉयस की डिटेल वर्णित हो। पूर्व मे GST Rule 36(4) की वैधानिकता को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट्स फाईल की हुई है। सरकार द्वारा इन रिट्स को खारिज करवाने के उद्देश्य से यह संशोधन कानून में किया गया है।

इस परिवर्तन का आम शब्दों में अर्थ यह है कि जितना इनपुट क्रेडिट आपके GSTR-2A में आ रहा है उस हद तक (5% तक की छूट देते हुए) ही इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ऐसे में प्रत्येक व्यापारी को निरंतर रूप से अपना GSTR-2A चैक करना होगा।

(3) GST ऑडिट समाप्त करने की घोषणा [धारा 35(5)] : वर्तमान में ऐसा रजिस्टर्ड डीलर जिसकी सलाना टर्नओवर 5 करोड़ रु. से अधिक हे उसे फार्म GSTR-9C में Reconciliation Statement के रूप में GST Audit फाईल करनी होती है। इस प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। सोशल मीडिया पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक यह नियम F.Y. 2020-21 से लागू किये जाने की संभावना है। इसके साथ–साथ धारा 44 में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत Reconciliation Statement को सैल्फ सर्टिफाईड करके अपनी इन्कम टैक्स/कम्पनी/ऑडिट रिपोर्ट के साथ इलैक्ट्रोनिक्ली रूप से फाईल करना होगा। GST कमीशनर को यह पावर दी गई है कि वह कुछ केटेगिरी के रजिस्टर्ड डीलर को GST में सलाना रिटर्न फाईल करने से मुक्ति दे देवे।

(4) आपने GSTR-1 फाईल कर दी लेकिन GSTR-3B फाईल नहीं की तो आपसे टैक्स की रिकवरी की जा सकेगी [धारा 75] : GST कानून में सामान्यतः टैक्स की रिकवरी करने के लिए SCN (show casue notice) जारी करना होता है। इस बजट में व्यापारी वर्ग पर सख्ती करते हुए सरकार द्वारा टैक्स की वसूली करने का एक शॉर्टकट तरीका निकाला है जिसके तहत धारा 75(12) में संशोधन किया गया है। इस धारा में **"Self Assessed Tax"** की परिभाषा में उस टैक्स को भी शामिल कर लिया गया है जो कि धारा 37 के तहत फाईल की गई आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न के अनुसार बनता है तथा जिसे धारा 39 की रिटर्न में शामिल नहीं किया गया है। इसे आम भाषा में

समझें तो ऐसा डीलर जिसने GSTR-1 तो फाईल कर दिया लेकिन GSTR-3B फाईल नहीं किया तो GSTR-1 के हिसाब से जो Tax Liability बनती है वह धारा 79 के तहत सीधे रिकवरी ऑफ एरियर के रूप में रिकवर की जा सकती है। ऐसे में जिन डीलर्स ने GSTR-1 तो फाईल कर दी है लेकिन GSTR-3B फाईल नहीं की, वे जल्द से जल्द GSTR-3B फाईल कर देवें।

(5) GST में ब्याज नेट टैक्स पर ही लगेगा [धारा 50(1)] : 1 जुलाई 2017 को जब GST लागू किया गया उसके बाद से निरंतर ब्याज के सम्बन्ध में विवाद चल रहा था। विभाग कह रहा था कि ब्याज Gross Tax Liability पर लगेगा, जबकि व्यापारी का एवं पेशेवर वर्ग का यह निवेदन था कि ब्याज Net Tax Liability पर लगना चाहिए। बजट 2021 में इस धारा में दिनांक 01.07.2017 से ही परिवर्तन किया गया है। अब इस परिवर्तन के तहत जितना टैक्स कैश लेजर में से जमा करवाया गया है केवल उतने पोर्शन पर ही देरी बाबत ब्याज लगेगा।

(6) प्रोविजनल अटैचमेंट [धारा 83] : पहले धारा 83 के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट करने की पावर केवल उन्हीं परिस्थितियों में थी जहां कि धारा 62, 63, 64, 67, 73, 74 के तहत कोई कार्यवाही चल रही हो। अब प्रोविजनल अटैचमेंट की कार्यवाही ऐसी किसी भी कार्यवाही के दौरान की जा सकती है जो कि Chapter- XII, XIV, XV के तहत चल रही हो। ऐसे में प्रोविजनल अटैचमेंट का दायरा बढ़ा दिया गया है। प्रोविजनल अटैचमेंट के तहत डीलर की प्रोपर्टी, बैंक एकाउंट आदि को अटैच किया जा सकता है।

(7) पेनल्टी के विरूद्ध अपील के लिए 25% रकम जमा करवानी होगी [धारा 107] : ऐसे मामले जहां माल को Detain/Seize किया गया है या वाहन को जब्त किया गया है तो उस मामले में धारा 129(3) के तहत जो टैक्स व पेनल्टी का ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर के खिलाफ अपील तभी फाईल हो सकेगी जब कि पेनल्टी की रकम का 25% जमा करवा दिया जाए।

GST कानून में जो परिवर्तन फाईनेंस बिल 2021 के द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं उनमें से काफी परिवर्तन ऐसे हैं जो फाईनेंस बिल पास होने के उपरांत उस तिथि से प्रभावी होंगे जो सरकार द्वारा नोटिफाई की जाएगी। ऐसे में जैसे ही फाईनेंस बिल पास हो जाएगा तथा जो संशोधन कानून का रूप ले लेंगे उनका डिटेल में विश्लेषण कर सरल टैक्स के आगामी अंकों में जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। सरल टैक्स परिवार द्वारा व्यापारी एवं पेशेवर वर्ग की GST सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याओं के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन भेजने का विचार है इस हेतु पाठकों से निवेदन है कि उनके क्षेत्र में इस कानून सम्बन्धी जो व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं वे ईमेल के माध्यम से सूचित कर सकते हैं तथा वे स्वयं भी अपने शहर की ट्रेडर एसोसिएशन या पेशेवर बॉडी के माध्यम से इसे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि दिन–प्रतिदिन नए कानून, नए नोटिफिकेशन, नए नियम आने के कारण व केन्द्र सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग व पेशेवर वर्ग की जायज मांग की प्रोपर सुनवाई न करने के कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

अच्छे विचार – व्यापार, कारोबार करते हुए भक्ति कैसे करें

सच्चे महापुरूषों का यह अनुभव है कि मनुष्य का सबसे खास काम परमात्मा को याद करना है, यानि सबसे पहली प्राथमिकता परमात्मा को याद/स्मरण करने में देनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि यदि परमात्मा को याद करते हुए अपनी दिनचर्या के कार्य/कर्म किए जायें तो आपका प्रत्येक कार्य भक्ति का रूप ले लेता है। किसी साधक ने प्रश्न किया कि मैं सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपने व्यापार में व्यस्त रहता हूं, मैं अपने व्यापार को किस प्रकार से करूं कि मेरा व्यापार करना भी भक्ति बन जाए? महापुरूषों ने सद्ग्रंथों के आधार पर एवं अपने अनुभव के आधार पर इस बाबत निम्न सूत्र दिये :–

(1) इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लो एवं यह बात सदा याद रहे कि :–
   (अ) ईश्वर सब में है।
   (ब) मैं जो कुछ भी करता हूं उस सबको ईश्वर देखते हैं।

(2) अपना व्यवहार शुद्ध रखो।

(3) जो भी काम करो भगवान का काम समझ कर करो। जैसे फल–सब्जी खरीदने जाओ तो मन में यह भाव लेकर जाओ कि परिवार के सभी सदस्यों में भी ईश्वर है, ऐसे में मैं भगवान के लिए ही सब्जी लेने जा रहा हूं। घर की साफ–सफाई करो तो प्रभु का याद करते हुए करो तथा मन में यह भाव रहे कि यह घर प्रभु का है, प्रभु के घर में कचरा रहेगा तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा – ऐसा मान कर झाडू लगा देना भी भक्ति है। मेरे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हैं, उन्हें भूख लगी है ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। व्यापार करते समय यह ध्यान रहे कि मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक भी प्रभु का रूप है ऐसा मान कर उसके साथ व्यवहार करो, किसी को कम नहीं तोलो, बहुत मुनाफा नहीं हो, व्यापार करते समय धर्म के सिद्धांतों को मत छोड़ों।

(4) भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने लिए कार्य करोगे तो वह स्वार्थ कहलाएगा। परमात्मा का कार्य समझ कर करोगे तो वह भक्ति है। कार्य तो एक ही है परन्तु इसके पीछे भावना का बहुत फर्क है। मन्दिर में एक मनुष्य बैठा–बैठा माला फेरे, परन्तु विचार संसार का करे, दूसरा मनुष्य प्रभु का सिमरन करते–करते बुहारी करे तो उस माला जपने वाले से यह बुहारी करने वाला श्रेष्ठ है। अपनी दिनचर्या की सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ दो। संकलन – कल्याण – गीताप्रेस

सरल टैक्स

RNI No.RAJHIN/2005/16139
Postal Reg. No.Sriganganagar/143/2021-2023
Date of Publication 10-02-2021

सरल टैक्स में प्रत्येक माह आपको आसान भाषा में निम्न जानकारी प्राप्त होती है :–

- ☆ रोजमर्रा में काम आने वाले टैक्स कानून की जानकारी।
- ☆ नये नियम, नये नोटिफिकेशन, नये सर्कुलर, नये निर्णय की आवश्यक जानकारी।
- ☆ आपके टैक्स संबंधी प्रश्नों के उत्तर।
- ☆ टैक्स संबंधी महत्वपूर्ण समाचार।
- ☆ टैक्स प्लानिंग व व्यवहार में काम आने वाले टैक्स संबंधी महत्वपूर्ण लेख।
- ☆ प्रत्येक माह के टैक्स संबंधी कार्य।
- ☆ यदि आप कोई इन्कम टैक्स, सर्विस टैक्स संबंधी प्रश्न पूछना चाहें तो अपने प्रश्न ई–मेल/डाक/कोरियर द्वारा सरल टैक्स के पते पर भिजवायें। फोन पर प्रश्नों के उत्तर देना सामान्यतः संभव नहीं है।

सरल टैक्स मासिक पत्रिका का वार्षिक शुल्क 400/– रु. है तथा 3 वर्ष का शुल्क 1000/– रु. व 5 वर्ष का शुल्क 1500/– रु. है। आप इस शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/मनीऑर्डर या श्रीगंगानगर में देय चैक (ऐटपार) द्वारा कर सकते है। चैक/ड्राफ्ट **''सरल टैक्स''** के नाम से जारी करें । यह पत्रिका प्रत्येक माह की 10 तारीख को प्रकाशित की जाती है । पत्रिका बुक–पोस्ट से भेजी जाती है, कोरियर से मंगवाने के लिए 180 रु. वार्षिक अतिरिक्त चार्ज भेजें। यदि आपको 20 तारीख तक पत्रिका प्राप्त न हो तो निम्न पते पर या ई–मेल पर सूचित करें। शिकायत/ऑर्डर बाबत ऑफिस टाईम 10.30 बजे से 6 बजे तक है।

सरल टैक्स

75 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर–335001 (राज.) Ph.: 0154-2940250, 2485250

e-mail : saraltax@gmail.com

स्वामी प्रकाशक व मुद्रक : जगदीश चावला द्वारा 75 आदर्श नगर, श्रीगंगानगर राजस्थान से प्रकाशित व न्यू भाटिया प्रिन्टर्स, श्रीगंगानगर से मुद्रित : सम्पादक नीरज चावला